Total = 500=/

विक्रय–पत्र

विक्रेता पक्ष सोहन सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी सिया केम्पटी, पटटी छैज्यूला, जिला टिहरी गढ़वाल।

क्रेता पक्षः– श्रीमती सुरेशी देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खरक, पटटी सिलवाड़, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल।

1. विक्रय पत्र कीमती– 3500/–रू0 (तीन हजार सौ रूपये मात्र)
2. विक्रय पत्र मालयती– 3500/–रू0 (तीन हजार सौ रूपये मात्र)
3. कलक्टर द्वारा निर्धारित दर – 70/– रू0 प्रति वर्ग मीटर
4. विक्रीत क्षेत्रफल – 0.005 हे0 यानि 50 वर्ग मीटर
5. जहाँ सम्पत्ति स्थित हो – मौजा सिया केम्पटी,, पटटी छैज्यूला, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल ।
6. देय स्टाम्प – 500/– रूपये
7. स्टाम्प शुल्क– 430/– रूपये
8. पंचायत शुल्क/आवास विकास शुल्क – 70/– रू0।
9. स्टाम्प सीट की संख्या – 1
10. सड़क से दूरी – 200 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
11. विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में इससे पूर्व कोई इकरार नामा पंजीकृत नहीं है।
12. समय में उक्त भूमि पर कोई ईमारती वृक्ष एवं निर्माण नहीं है।
13. क्रेता उत्तराखण्ड राज्य में 12.09.2003 से पूर्व का अचल सम्पत्ति धारक व्यक्ति है
14. विक्रेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं हैं।
15. किस्म भूखण्ड – असिंचित
16. क्रेता विदेशी नागरिक नहीं है।
17. क्रय करने का प्रयोजन – आवासीय प्रयोजनार्थ।

Sureshi

सौन सिंह

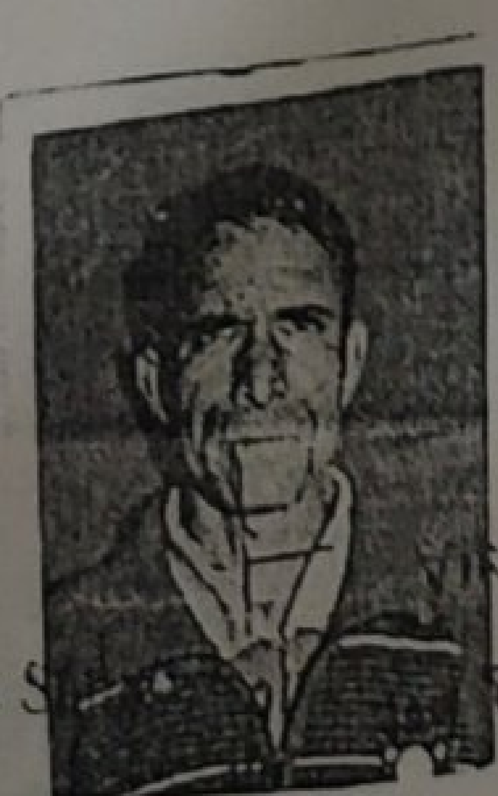

Vikram S

New Tehri

सत्य प्रतिलिपि

31-5-2018

सब रजिस्ट्रार
टिहरी

Scanned by CamScanner

मैं के सोहन सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी सिया केम्पटी, पटटी छैज्यूला, जिला टिहरी गढ़वाल वाला अपने स्वस्थ चित्त, स्थिर बुद्धि बिना किसी के सिखलाये, बहकावे में आकर यह विक्रय पत्र इस प्रकार से तहरीर करवाये देता हूँ कि मैं मौजा सिया केम्पटी, पटटी छैज्यूला, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल के खाता नम्बर– 13 का भूमिधर मालिक दर्ज हूँ, मैंने अपने उपरोक्त खाते के अपने हिस्से कब्जे काश्त का खेत नम्बर– 131 रवचा 0.090 हे0 मध्ये रवचा 0.005 हे0 यानि 50 वर्ग मीटर असिंचित भूमि को मु0– 3500/–रू0 (तीन हजार सौ रूपये मात्र) में क्रेता पक्ष श्रीमती सुरेशी देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खरक, पटटी सिलवाड़, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल वालान के पास विक्रय कर दिया है। विक्रय धन विक्रेता पक्ष ने क्रेता पक्ष से पूर्व में प्राप्त कर कब्जा उक्त भूमि का उन्हें हस्तान्तरित कर दिया है। अब उक्त विक्रीत भूमि से कुछ भी पाना शेष नहीं है। वर्तमान समय में उक्त भूमि पर कोई ईमारती वृक्ष एवं निर्माण नहीं है। उपरोक्त भूमि विक्रेता पक्ष द्वारा कहीं अन्यत्र विक्रय एवं बन्धक आदि नहीं की गई है, और ना ही उक्त सम्बन्ध का कोई अनुबन्ध किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि सभी प्रकार के आड़ एवं भार से मुक्त तथा पाक साफ है। उक्त भूमि पर जो सुखाधिकार, पानी, रास्ते, हवा, रोशनी आदि के विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे, अब वे सभी अधिकार क्रेता पक्ष को प्राप्त होंगें।

Sureshi

सत्य प्रतिलिपि

(3)

अब क्रेता पक्ष जिस प्रकार से चाहें उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करें, राजस्व विभाग के अभिलेखों में अपने नाम इन्द्राज करवायें, इसमें विक्रेता पक्ष व उनके किसी अंशी एवं उत्तराधिकारियों को कोई ऐतराज नहीं होगा, यदि विक्रेता पक्ष की कमी या किसी स्वामित्व की कमी या भूल के कारण क्रेतापक्ष को उक्त सम्पत्ति से कोई हानि उठानी पड़े या उक्त सम्पत्ति से विरत होना पड़े तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता पक्ष की होगी। उपरोक्त भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है, तथा मोटर मार्ग से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। उक्त भूमि पर जो अधिकार विक्रेता पक्ष को आज तक प्राप्त थे, भविष्य में प्राप्त होंगे, अब वे सभी अधिकार क्रेता पक्ष को प्राप्त हो जायेंगे। उपरोक्त भूमि का मुल्याकन – 3500/– रू0 आंका गया है, उत्तराखण्ड शासन के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट को काटकर नियत स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

Surabhi

सौनसिंह

क्रेता -
बायां हाथ -

दायां हाथ -

सत्य प्रतिलिपि
Mohit
सब रजिस्ट्रार
टिहरी

Scanned by CamScanner

(4)

क्रेता एवं विक्रेता पक्ष के ऊँगलियों के चिन्ह भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–32 क के अनुसार विधिवत लिये गये हैं। अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक–27.10.2007 को स्थान नई टिहरी में तहरीर करवाकर निम्न साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये देते हैं। प्रमाण को समय पर काम आवे।

रचियता, ह0/क्रेता ह0/विक्रेता

(विक्रम सिंह नेगी)
एडवोकेट,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

Surekhi

सौनसिंह

गवाह - 1 स्याल सिंह पु० समद सिंह
मठोली पट्टी इडवालस्यूं टिहरी

गवाह - 2 महेन्द्र सिंह पु० रतन सिंह
मठोली पट्टी इडवालस्यूं टिहरी

सत्य प्रतिलिपि
सब रजिस्ट्रार
टिहरी